

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2023 (निगरानी)

उनवान

ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा जिला कोटा (राज0)
जर्ये कृष्णमुरारी शर्मा ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा
जिला कोटा (राज0)

(निगराकार)

बनाम

हेमराज पुत्र श्री राधाकिशन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(गैर निगराकार)


उपस्थित :- 1. श्री बनवारीलाल (अभिभाषक निगराकार)
2. जगदीश बैरवा (अभिभाषक गैरनिगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1994
वास्ते निरस्त किये जाने पट्टा संख्या 03230 दिनांक 5.06.2017

निर्णय दिनांक : 8.08.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा के आदेश दिनांक 5.06.2017 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकार की ओर से श्री जगदीश बैरवा अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस निगरानी में कथन है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2017 के तहत गैर निगराकार हेमराज पुत्र श्री राधाकिशन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा के द्वारा ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा के समक्ष आबादी भूमि ख0न0 127 में बने मकान का पट्टा लेने हेतु दिनांक 20.05.2017 को आवेदन किया था। गैर निगराकार द्वारा आवेदन पत्र में 50 वर्ष का कब्जा बताते हुये 43x 78वर्गफिट का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया था, जिसके प्रपत्र प्रथम एवं प्रपत्र तृतीय पर आवेदनकर्ता हेमराज के हस्ताक्षर हो रहे हैं, उक्त आवेदन के आधार पर ग्राम सेवक ग्राम पंचायत करवाड की अभिधंशा के अनुसार राजस्थान पंचायती राज0 अधि0 157(1) के अनुसार पात्रता मानी गई है। ग्राम पंचायत करवाड द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या एक के अनुसार गैर निगराकार का कब्जा 50 वर्षों का माना गया है जिसके अनुसार गैर निगराकार द्वारा आवेदन पत्र में नक्शा 43x 78 वर्गफिट का आलेखित है उसकी के अनुसार ग्राम पंचायत करवाड द्वारा गैर निगराकार व उसके परिवारजन तथा पड़ोसी व वार्ड पंच की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। निगराकार की कौरम के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत होने पर दिनांक 5.06.2017 को पट्टा संख्या 03230 ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा जिला कोटा आबादी भूमि का विक्रय विलेख 157 (1)(क.ख) गैर निगराकार हेमराज के पक्ष में जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत करवाड द्वारा पंचायती राज0 अधि0 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार 300 वर्गगज (


अति. जिला कलेक्टर
कोटा



2700वर्गफिट) तक के क्षेत्रफल में 25/ः निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये विनियमित करने का अधिकार है जबकि गैर निगराकार ने अपने कब्जा शुदा मकान का 43x78-3354 वर्गफिट का पट्टा जारी करवा लिया है इस प्रकार गैर निगराकार द्वारा 654 वर्गफिट कब्जेशुदा भू-भाग का अधिक पट्टा प्राप्त कर लिया है। पंचायत राज0 अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार विनिर्दिष्ट से अधिक क्षेत्रफल के लिये राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 खण्ड (ख) के अधीन गठित स्तरीय समिति द्वारा तय की गई नई बाजार दरों का 25% 75/- रुपये प्रति वर्गफिट निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा द्वारा पट्टा संख्या 03230 दिनांक 5.06.2017 को जारी पट्टे में भूमि का क्षेत्रफल 3354 वर्गफिट का जारी करवा लिया था। जबकि ग्राम पंचायत के नियमानुसार 2700 वर्गफिट का पट्टा देने का अधिकार है। इस प्रकार नियमानुसार से अधिक भूमि 654 वर्गफिट क्षेत्रफल का डीएलसी दर 75/- रुपये प्रति वर्गफिट में 49054/-रुपये की राशि गैर निगराकार द्वारा जमा नहीं करवाई गई है। जिस पर ग्राम पंचायत करवाड द्वारा जयें सरपंच गैर निगराकार को दिनांक 20.09.2022 को सूचना पत्र जारी कर निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जारी हुये पट्टे के क्षेत्रफल की राशि 49054/- रुपये जमा करवाने या पट्टा कार्यालय में जमा करवाने के लिये सूचित किया गया किन्तु गैर निगराकार द्वारा सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी न तो राशि जमा करवाई और ना ही पट्टा जमा करवाया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 03230 दिनांक 5.06.2017 को निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान करे।

5. विद्वान अभिभाषक गैरनिगराकार का बहस में कथन रहा है कि गैरनिगराकार द्वारा पट्टे के आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा द्वारा पट्टा संख्या 03230 दिनांक 5.06.2017 जारी किया है, जो नियमानुसार नहीं किया है। क्योंकि ग्राम पंचायत को 2700 वर्गफिट पर ही नियमानुसार पट्टा जारी करने का अधिकार था। किन्तु ग्राम पंचायत करवाड ने 3354 वर्गफिट पर पट्टा जारी कर दिया। इस कारण गैर निगराकार निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जारी हुये पट्टे के क्षेत्रफल की राशि 49054 जमा करने में सक्षम नहीं है। ग्राम पंचायत को ज्ञात होने के उपरान्त भी गैरनिगराकार का पट्टा जारी किया गया। अतः उक्त निगरानी को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

6. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस में कथन रहा है कि ग्राम पंचायत करवाड द्वारा पंचायती राज0 अधि0 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार 300 वर्गगज (2700वर्गफिट) तक के क्षेत्रफल में 25/ः निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये विनियमित करने का अधिकार है जबकि गैर निगराकार ने अपने कब्जा शुदा मकान का 43x78-3054 वर्गफिट का पट्टा जारी करवा लिया है इस प्रकार गैर निगराकार द्वारा 654 वर्गफिट कब्जेशुदा भू-भाग का अधिक पट्टा प्राप्त कर लिया है। पंचायत राज0 अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार विनिर्दिष्ट से अधिक क्षेत्रफल के लिये राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 खण्ड (ख) के अधीन गठित स्तरीय समिति द्वारा तय की गई नई बाजार दरों का 25% 75/- रुपये प्रति वर्गफिट निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत करवाड पंचायत समिति इटावा द्वारा पट्टा संख्या 03230 दिनांक 5.06.2017 को जारी पट्टे में भूमि का क्षेत्रफल 3354 वर्गफिट का जारी करवा लिया था। जबकि ग्राम पंचायत के नियमानुसार 2700 वर्गफिट का पट्टा देने का अधिकार है। इस प्रकार नियमानुसार से अधिक भूमि 654 वर्गफिट क्षेत्रफल का डीएलसी दर 75/- रुपये प्रति वर्गफिट में 49054/-रुपये की राशि गैर निगराकार द्वारा जमा नहीं करवाई गई है। इसके विपरीत गैरनिगराकार अभिभाषक का कथन रहा है कि ग्राम पंचायत को 2700 वर्गफिट पर ही नियमानुसार पट्टा जारी करने का अधिकार था। किन्तु ग्राम पंचायत करवाड ने 3354 वर्गफिट पर पट्टा जारी कर दिया। इस कारण गैर निगराकार निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक जारी हुये पट्टे के क्षेत्रफल की राशि 49054 जमा करने में सक्षम नहीं है। ग्राम पंचायत को ज्ञात होने के उपरान्त भी गैरनिगराकार का पट्टा जारी किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत

hjal

करवाड पंचायत समिति इटावा द्वारा हेमराज पुत्र राधाकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा को जारी किया गया पट्टा संख्या 03230 दिनांक 5.06.2017..निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रेषित किया जाता है। पंचायती राज0 अधि0 1996 के नियम 157 (1) के अनुसार 300 वर्गगज (2700वर्गफिट) तक के क्षेत्रफल में 25/ः निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये विनियमित करने का अधिकार है।अतः ग्राम पंचायत करवाड निर्धारित क्षेत्रफल पर ही नियमानुसार जांच कर पट्टा जारी करे।

7 निर्णय आज दिनांक 8.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा